कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-101/2016-17/

दिनांक : /04/2017

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

विषय : नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग जनपद-चमोली का वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग-4 (ब)-1 में एक प्रस्तर एंव भाग -4(ब)-2 में 05 प्रस्तर एवं STAN 01 प्रस्तर** हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं. स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-101/2016-17/ दिनांक : /04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लिये कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली पर प्रारुप निरीक्षण प्रतिवेदन।

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष का नाम तथा पदनाम

श्री ललित मोहन मिश्र - अधिशासी अधिकारी

श्री सुभाष गैरोला - अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ.
(ii) श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ.
(iii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.
(iv) राजवेश भट्ट,ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 17 मार्च 2017 से 22 मार्च 2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् कर्णप्रयाग**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 2.14 वर्ग कि.मी.

जनसंख्या : 8283

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या: 07
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 07 बैठक प्रतिवर्ष

(ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- गठन नहीं हुआ है।

4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : 54
6. नगर पालिका परिषद की सम्पत्तियां : -95 दुकानें, 03 भवन एवं 01 सेग्रीगेशन हाल
7. . नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: - भाग 3 के अनुसार

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : वर्तमान में लागू नहीं
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः - भाग 3 के अनुसार

(ब) योजनाओं पर

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः-हाँ

भाग-4 (अ)

(**क**) परिचयात्मकः- कार्यालय **अधि. अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री त्रिलोक सिंह नेगी, ले.प.अ., श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा दिनांक 17 मार्च 2017 से 22 मार्च 2017 तक संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-
इकाई का यह प्रथम निरीक्षण होने के कारण
विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति- शून्य

यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 प्रस्तर भाग-4 (ब)-1 प्रस्तर भाग-4 (ब)-2

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर शून्य

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची -
(घ) अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

भाग-4(ब)II

प्रस्तरः-1 इकाई की शिथिलता के कारण भवन कर की वसूली के ` 11.79 लाख की न वसूली लंबित रहना।

निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्रांक 760/रा.वि.नि./अधि.नि.-2008/2014 दिनांक 17 जुलाई-2014 के माध्यम से समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतो को निर्देशित किया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली योग्य राशि के 90% से अधिक सुनिश्चित की जाए।

नगर पालिका परिषद के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा भवन कर के रुप में आरोपित करों की वसूली योग्य धनराशि से काफी कम वसूली की गई थी विवरण निम्न प्रकार हैः

वर्ष	**मकानों की संख्या**	**पूर्व वर्षों की वसूली योग्य राशि**	**वित्तीय वर्ष की वसूली योग्य धनराशि**	**कुल वसूली में क्रय धनराशि**	**वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि**	**वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि ` वसूली का प्रतिशत**
2011-12	-	7,36,628	268862	10,05,490	1,56,049	8,49,441/- (15.52%)
2012-13	617	8,49,441	3,06,212	11,55,653	2,30,086	9,25,567/- (19.91%)
2013-14	631	9,25,567	3,06,212	12,31,779	2,02,103	10,29,676/- (16.41%)
2014-15	639	10,29,676	3,06,212	13,35,888	1,53,670	11,82,218/- (11.50%)
2015-16	643	11,82,218	3,13,211	14,95,429	3,16,891	11,78,538/- (21.19%)

पूर्व पृष्ठ पर अंकित विवरण से स्पष्ट हो रहा है कि इकाई द्वारा वर्ष 2011-12 में कुल वसूली योग्य धनराशि का मात्र 15.52% जबकि वर्ष 2012-13 में 19.91% वर्ष 2013.14 में 16.41 प्रतिशत 2014-15 में 11.50% जबकि वर्ष 2015-16 में 21.19% धनराशि ही वसूली की गई थी।

इस संबंध में लेखा-परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई का कहना था कि वसूली कार्यरत कर्मचारियों से ही की जाती है एवं कर्मचारियों की कमी के कारण कम वसूली हुई है, वसूली हेतु सघन अभियान चलाकर वसूली की कोशिश की जा रही हैं,

इकाई का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि वसूली की गई धनराशि काफी (90% से) कम थी एवं इकाई द्वारा विगत पांच वर्षों से वसूली की दर बढाने हेतु कोई प्रयास नहीं किये रहे थे, जिसके कारण इकाई को होने वाली आय के एक बहूत बड़े भाग से वंचित रहना पड़ रहा था।

अतः इकाई की शिथिलता के कारण ` 11.79 लाख भवन कर की वसूली के अवशेष रहने संबंधी प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

<u>भाग (4) ब II</u>

प्रस्तर 2:- इकाई द्वारा जिला पर्यटन योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात बची हुई अवशेष धनराशि `60,000.00 का शासन को वापस न लौटाया जाना ।

जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक संख्या 106/जिला योजना/2014-15 दिनांक 16 जनवरी 2015 के द्वारा जिला पर्यटन विकास अधिकारी गोपेश्वर-चमोली के पक्ष में नगर पंचायत कर्णप्रयाग के अंतर्गत **ग्राम ईडाबधानी में वार्ड 2 में पर्यटन सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु** ` 08.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती जारी की गई थी | जिलाधिकारी के पत्रांक की शर्त संख्या 10 के अनुसार **उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा** |

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जिला पर्यटन विकास अधिकारी गोपेश्वर –चमोली द्वारा उपरोक्त धनराशि ` **08.00 लाख** को ट्रेजरी चालान संख्या 2515/0694 दिनांक 24 मार्च 2015 के माध्यम से इकाई के विभागीय खाता संख्या **8448001020000** में जमा करा दिया गया |

आगे जाँच में पाया गया कि ग्राम ईडाबधानी में वार्ड 2 में पर्यटन सुविधा केन्द्र का निर्माण ` 07.40 लाख की लागत से पूर्ण हो चुका है | इकाई द्वारा निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान दिनांक 26 मार्च 2016 को किया जा चुका है | उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि में से `60,000.00 की अवशेष धनराशि लगभग एक वर्ष से इकाई के खाते में पड़ी हुई है जबकि जिलाधिकारी के पत्रांक की शर्त संख्या 10 के अनुसार इस अवशेष धनराशि को निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि जिला पर्यटन योजना में बची हुई अवशेष धनराशि `60,000.00 को शीघ्र ही जिला पर्यटन अधिकारी चमोली को वापस कर दिया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी के पत्रांक की शर्त संख्या 10 के अनुसार इस अवशेष धनराशि को निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था |

अतः इकाई द्वारा जिला पर्यटन योजना में बची हुई अवशेष धनराशि `60,000.00 को शासन को वापस न लौटाये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग (4) ब II

प्रस्तर 1(ब):- दुकान किरायों से संबंधित ` 6.81 लाख की वसूली का लंबित रहना।

किसी भी इकाई की आय के प्रमुख स्रोतों में उसकी स्वंय की निर्मित दुकानों से प्राप्त होने वाले किराये का मुख्य स्थान होता है।

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा-परीक्षा के दौरान दुकानों के किराये की वसूली संबंधी पंजिका एवं अन्य अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य निम्न विवरणानुसार दुकानों का किराया वसूला गया था।

वर्ष	पिछला अवशेष	वर्तमान वर्ष की मांग	वर्ष की कुल मांग	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष के अंत में वसूली हेतु शेष	वसूली का प्रतिशत
2011-12	3,31,250	1,65,600	4,96,850	1,09,600	3,87,250	22.06%
2012-13	3,87,250	4,92,850	8,80,100	5,20,450	3,59,650	59.14%
2013-14	3,59,650	5,37,500	8,97,150	5,32,250	3,64,900	59.33%
2014-15	3,64,900	8,61,000	12,25,900	8,26,200	3,99,700	67.40%
2015-16	3,99,700	10,65,700	14,65,400	7,84,800	6,80,600	53.56%

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 से (22.06% से 67.40%) वर्ष 2014-15 तक किराया वसूली की दर में थोड़ा-2 वृद्धि होने के पश्चात वर्ष 2015-16 में विभागीय शिथिलता के कारण वसूली दर में गिरावट (53.56%) आई थी, जिसके कारण वर्ष 2015-16 के अन्त में ` 6.81 लाख के किराये की वसूली अवशेष थी जो कि किसी भी विभाग की आय का काफी बड़ा हिस्सा होता है जिस धनराशि से इकाई द्वारा कुछ विकासात्मक प्रकृति के कार्य कराये जा सकते थे।

लेखा परीक्षा मे इस ओर इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि सघन अभियान चलाकर वसूली की कोशिश की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि किराये की वसूली के संबंध में कोई भी ठोस प्रयास इकाई द्वारा नहीं किये जा रहे थे।

अतः दुकानों के किराये के रुप में ` 6.81 लाख की वसूली शेष रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग (4) ब II

प्रस्तर 3:- प्राप्त धनराशि (प्रथम किश्त) से अधिक व्यय किया जाना (` 94,672/-)

इकाई को अवस्थापना विकास निधि से नये बस अड्डे में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण की अनुमोदित लागत ` 103.17 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त ` 53.17 लाख स्वीकृत थे (शा.सं.312/IV(2)श.वि.-2016-51 सा. दि. 19.02.16)

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई के पास उपलब्ध धनराशि (` 53.17 लाख) से उक्त कार्य हेतु चयनित ठेकेदार को अधिक भुगतान ` 94672/- किया गया था। इकाई को द्धितीय किश्त की शेष धनराशि नही मिली थी।(3/2017)

उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि द्धितीय किश्त प्रतीक्षित है। अधिक कार्य का भुगतान ठेकेदार के जमानत राशि (5%) से किया गया है। उक्त भुगतान की गई राशि का द्धितीय किश्त के आने के बाद समायोजन किया जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि जमानत राशि का समायोजन कार्य पूर्ण होने के समय किया जाना नियमानुसार अपेक्षित है। द्धितीय किश्त मिलने की प्रत्याशा में (जो कि अभी तक नहीं मिली है) जमानत राशि से ठेकेदार को भुगतान किया जाना अनुचित है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग (4) ब II

प्रस्तर 4:- अनियमित भुगतान (` 943509)

इकाई को ढांचागत विकास हेतु 'अवस्थापना विकास निधि' से कर्णप्रयाग मे पैट्रोल पम्प के समीप पार्किंग निर्माण हेतु ` 23.76 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली थी (10/2014)

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि स्वीकृत राशि में उक्त पार्किंग का निर्माण पूर्ण हो चुका था। तत्पश्चात इकाई द्वारा पार्किंग स्थल का विस्तार करने हेतु ` 9.03 लाख का आगणन तैयार कर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया (3/2016)। आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा शासन से आगणन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अनुबन्ध कर उक्त कार्य पर ` 943507/- धनराशि व्यय की गयी तथा शासन से राज्य वित्त में आवंटित धनराशि से भुगतान की स्वीकृति हेतु पत्राचार किया गया (9/2016)। शासन द्वारा इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है (3/2017) किन्तु इकाई द्वारा अतिरिक्त कार्य का भुगतान राज्य वित्त से किया गया।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त कार्य हेतु राज्य वित्त से व्यय करने की स्वीकृति नहीं मिली है। चार धाम पड़ाव का मुख्य केन्द्र होने के कारण एवं जाम की स्थिति से निपटने हेतु बोर्ड प्रस्ताव द्वारा उक्त निर्माण किया गया। शासन से स्वीकृति न मिलने के कारण बोर्ड प्रस्ताव के बाद राज्य वित्त से भुगतान किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पार्किंग स्थल व क्षेत्रफल का चयन चार धाम यात्रा व जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगणन बनाकर उपरोक्त निर्माण कार्य अवस्थापना विकास

निधि में स्वीकृति धनराशि से पूर्ण किये जा सकते थे। अतः बाद में पार्किंग का विस्तार राज्य वित्त में बची धनराशि को व्यय करने के उद्देश्य से किया जाना प्रतीत होता हैं।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 01:- इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पालन न किया जाना ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम **13. विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा** के उपनियमों (1),(2) एवं (5) के अनुसार:-

(i) रू॰ 25,00,000 (रू॰ पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए|

(ii) निविदा पृच्छा राज्य सरकारकी जाए तथा राष्ट विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/ीय सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए तथा (.सी.आई.एन);

(iii) सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से अथवा निविदा दस्तावेजों के बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीन सप्ताह, इनमें जो भी बाद में हो, दिया जाए |

इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों को नमूना लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित किया गया:-

क्रं.सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**कार्य की भौतिक स्थिति**
01.	प्रयागराज होटल के सामने पार्किंग स्थल का निर्माण	25.00 लाख	25.00 लाख	पूर्ण
02.	प्रयागराज होटल के सामने पार्किंग स्थल हेतु द्वितीय तल का निर्माण	28.00 लाख	28.00 लाख	पूर्ण
	कुल धनराशि	**53.00 लाख**	**53.00 लाख**	

मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा उपरोक्त लिखित निर्माण कार्यों हेतु धनराशि इन प्रतिबंधों के साथ आवंटित की थी कि निर्माण कार्य, फर्नीचर या अन्य उपकरण एवं सामग्री क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों Rate Contract की दर के अनुसार कार्यवाही की जाये |

इकाई की उपरोक्त लिखित निर्माण संबंधी पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचनाएँ केवल एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु भेजी गई थीं तथा इकाई द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से निविदाएँ प्रस्तुत करने हेतु सिर्फ 7 से 10 दिनों का समय दिया गया जबकि नियमानुसार कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाना था |

इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पालन किया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि इकाई द्वारा उपरोक्त निविदाओं को दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दिया जाता तथा निविदाएँ प्रस्तुत करने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाता तो इस प्रक्रिया में और ज्यादा ठेकेदार भाग ले सकते थे जिससे इकाई को ज्यादा प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ प्राप्त हो सकता था |

अतः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमों का पालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

भाग (4) ब II

प्रस्तर 5:- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत ` 2.25 लाख की सामग्री का क्रय करना तथा निर्माण कार्यों के बिलों से रायल्टी का न काटा जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय दो (सामग्री) के नियम-9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ` 50,000/- से अधिक तथा 3.00 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्पक रुप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समितियों की संस्तुति पर निविदा प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है।

1. इकाई के लेखा अभिलेखों की लेखा-परीक्षा के दौरान विधायक निधि से संबंधित पत्रावलियों/अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य कराए गए कार्यों में से निम्न दो कार्यों हेतु सामग्री (` 50,000/- अधिक) का क्रय बिना निविदा/कोटेशन के आधार पर किया गया जो कि अधिप्राप्ति नियमावली का खुला उल्लंघन था।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	क्रय सामग्री का मूल्य
1.	ग्राम सांकरी में सामुदायिक चौपाल का निर्माण	2.00 लाख	1,19,152/-
2.	राजकीय इण्टर कॉलेज कर्णप्रयाग के प्रांगण में सी.सी. निर्माण कार्य	3,20,400/-	1,05,900/-
		कुल	2,25,052/-

2. आगे लेखा परीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त कार्यों को कराने हेतु जिला विकास अधिकारी चमोली द्वारा जारी दिशा निर्देशो/शर्त क्र. 9 में स्पष्ट उल्लेख था कि प्रत्येक निर्माण कार्य से रायल्टी की राशि अनिवार्य रुप से काटी जानी चाहिए तथा द्धितीय किश्त की मांग के साथ रायल्टी जमा करने संबंधी चालान की प्रति प्रस्तुत

करना अनिवार्य होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त दोनों ही कार्यों के भुगतान से रायल्टी की धनराशि नहीं काटी गई थी।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई का कहना था कि भविष्य में नियमों व दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा नियमों व स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था,

अतः इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विपरीत ` 2.25 लाख की सामग्री का क्रय करना व भुगतान बिलों से रायल्टी का न काटे जाने से संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग, जनपद - चमोली** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय